ग्राम पंचायत बरमाणा, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश—174013 के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग—एक

1. **(क) प्रस्तावना:—**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत बरमाणा, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव कार्यरत रहे:—

प्रधान :—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमति पूजा देवी	01.04.2022 से 31.03.2024

पंचायत सचिव :—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री मदन लाल	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:— ग्राम पंचायत बरमाणा, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्र0 सं0	पैरा संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4 (ख)	रोकड़ बही एवं बैंक शेष में अन्तर	0.04
2	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष	38.29
3	7.1	पंचायत का गृहकर/सम्पत्ति कर वसूली हेतु शेष	0.18
4	8.1	निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना अनियमित भुगतान	20.39
5	8.2	स्त्रोत पर जी.एस.टी.टी.डी.एस.की कटौती न करना	0.38

6	9.2	निर्माण सामग्री से रिक्तियाँ की कटौती न करना	0.40
7	9.3	औपचारिकताओं पूर्ण किए बिना सामग्री का क्रय करना	3.35
8	9.4	स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टयाँ न करना	2.80
9	9.5	उचित बिलों के बिना भुगतान करना	0.43

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई थी। अतः ग्राम पंचायत इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष कार्यवाही करनी सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तांरण हो सके।

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2018 से 03/2019 तक

क्र0सं0	पैरा संख्या	वर्तमान स्थिति	विवरण
1	3	निर्णीत	विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान निर्णीत
2	4	निर्णीत	विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान निर्णीत
3	5	निर्णीत	विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान निर्णीत
4	6	निर्णीत	विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान निर्णीत
5	7	निर्णीत	विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान निर्णीत
6	8	निर्णीत	विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान निर्णीत
7	9	निर्णीत	विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान निर्णीत
8	10	निर्णीत	विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान निर्णीत
9	11	निर्णीत	विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान निर्णीत
10	12	अनिर्णीत	
11	13	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10 में पुनः प्रारूपित
12	14	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11 में पुनः प्रारूपित
13	15	निर्णीत	विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान निर्णीत
14	16	निर्णीत	विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान निर्णीत

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत बरमाणा, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री अमित कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक व श्री पुनीत कुमार आर्टीकल सहायक द्वारा दिनांक 02.12.2024 से 05.12.2024 तक ग्राम पंचायत बरमाणा के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व स्त्रोतों की अधिकतम आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः—

वर्ष	आय	व्यय
2022—23	09/2022	12/2022
2023—24	03/2024	03/2024

अस्वीकरण :- इस ***अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।***

3. अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत बरमाणा, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6,400 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, हि॰प्र॰ शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं॰ 619/2024 दिनांक 04.12.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4. (क) वित्तीय स्थितिः—

सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना सं॰ 609/2024 दिनांक 02.12.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट—1** पर दिया गया है ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान (9) रोकड़ बहियों का रख—रखाव किया गया थाः—

संकलित वित्तीय स्थिति					
वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2022—2023	4691742.41	5643936.00	10335678.41	5588466.00	4747212.41
2023—2024	4747212.41	4416897.60	9164110.01	5020009.60	4144100.41

दिनांक 31.03.2024 को संकलित वित्तीय स्थिति का अन्त शेष : ₹ 4144100.41

दिनांक 31.03.2024 को **परिशिष्ट–1 (क)** के अनुसार

विभिन्न बैंक बचत खातों का अन्त शेष : ₹ 41,48,014.41

अन्तर : ₹ 3,914.00

(ख) रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अन्तशेषों में ₹0.04 लाख के अन्तर का समाधान न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान करना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिसके कारण दिनांक 31.03.2024 को **परिशिष्ट–1 (ग)** अनुसार विभिन्न रोकड़ बहियों एवं बैंक खातों के अन्तिम शेष **₹3,914** राशि का अन्तर पाया गया।

क्र0 सं0	**रोकड़ बही का नाम**	**दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही का अन्तशेष (₹)**	**दिनांक 31.03.2024 को बैंक बचत खातों का अन्तशेष (₹)**	**अन्तर (₹)**
1	खाता क (स्वय स्त्रोत)	3,15,383.00	3,17,293.00	+1,910
2	खाता 'ख' (अनुदान प्लानिंग)	11,84,582.16	11,91,562.16	+6,980
3	स्वच्छ भारत मिशन	1,84,362.25	1,85,717.25	+1,355
4	मुख्यमन्त्री आवास योजना	1,00,776.00	1,01,479	+703
5	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान	82,730.00	1,77,866.00	+95,136
6	गौसदन	33,012.00	33,242.00	+230
7	14वॉं वित्तायोग	19,855.00	45.00	–19,810
8	15वॉं वित्तायोग	22,23,400.00	21,40,810.00	–82,590
			कुल योग	**3,914.00**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 614/2024 दिनांक 02.12.2024 के प्रत्युत्तर मे उक्त अन्तर की राशि बारे सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा पत्र संख्या 50 दिनांक 05.12.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रोकड़ बही का बैक खातों से राशि **₹3,914** अन्तर का पता लगाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः

अंकेक्षण को दिये आश्वासनुसार अन्तर के कारणों की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए

5. सावधिक निवेशः—

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 609/2024 दिनांक 02.12.2024 की अनुपालना में पंचायत सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 48 दिनांक 05.12.2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/2022 से 03/2024 के दौरान सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था। अतः पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वंय स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों को अलग—अलग रख—रखाव करके, स्वंय स्त्रोत मे आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया सुनिश्चित जाए।

6. अनुदानः—

6.1 अनुदान राशि ₹38.29 लाख उपयोग हेतु शेषः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिंग एजेन्सी के दिशा—निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 609/2024 दिनांक 05.12.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना **परिशिष्ट—1** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.24 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में **₹38,28,717.41** की राशि उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशियों को विहित समय अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अतः ऐसे अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो चुकी हो, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से समय अवधि की बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायतों को दी गई अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए है एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए गए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 609/2024 दिनांक 05.12.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या 48 दिनांक 05.12.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण

पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत कर दिए जाएंगें। अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश/स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेवार होगा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 609/2024 दिनांक 02.12.2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 48 दिनांक 05.12.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश/स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नहीं हुए है तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया गया है। यह एक अनुचित प्रकिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अतः अनुदान के आदेश/स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे। अतः उक्त आदेश/स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

7 स्वंय स्त्रोत :–

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.18 लाख वसूली हेतु शेषः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को गृहकर/सम्पत्ति कर की वसूली करना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 609/2024 दिनांक 05.12.2024 के क्रम संख्या 6 के प्रतिउत्तर पत्र संख्या 48 दिनांक 05.12.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत को दिनांक 31.03.2024 तक पंचायत राजस्व गृहकर की राशि **₹18,100** की वसूली हेतु शेष थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है तथा विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–2** में भी दिया गया है:–

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	परिवार	गृहकर वार्षिक दर(₹)	माँग(₹)	कुल योग(₹)	प्राप्ति(₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2022–23	0	846	50	42,300	42,300	6000	36300
2023–24	36300	876	50	43,800	80,100	62000	18,100

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.03 लाख की वसूली न करना:—

हिमाचल प्रदेश सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अर्न्तगत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹**200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय— समय पर वसूल करने के उपरान्त हि॰ प्र॰ विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित नवीनतम लेखा शीर्ष 0070—60—108—01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय 2022—2023 व 2023—24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों से **₹3,150** की वसूली नहीं की गई थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट—3** में दिया गया है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 620/2024 दिनांक 04.12.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या 50 दिनांक 05.12.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूली गई राशि की वसूली करके उक्त राशि के जमा व इन्द्राज बारे अगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली उपरान्त अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.09 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना:—

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अर्न्तगत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹**200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय— समय पर वसूल करने के उपरान्त हि॰ प्र॰ विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित नवीनतम लेखा शीर्ष 0070—60—108—01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022—2023 व 2023—24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों से **₹8850** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण **परिशिष्ट—3** में दिया गया है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 621/2024 दिनांक 04.12.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या 40 दिनांक 05.12.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि **₹8850** को राजकीय कोष में जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जायेगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को राजकीय कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. व्यय:—

8.1 आपूर्ति से सम्बन्धित ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना राशि ₹20.39 लाख का अनियिमित भुगतान:—

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियमावली 2015 के नियम 81 व 81—ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फॉर्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फॉर्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम के द्वितीय अनुसूची के अनुसार रॉयल्टी का भुगतान 25% दण्ड शुल्क के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, शिमला के पत्र संख्या एक्स. ई एन.-(आर.डी.एवं पी.आर.)-डी. बी.-सामान्य/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हि. प्र. के आदेशों की अनुपालना में अब संविदाकारों/विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा फॉर्म "एक्स" या डब्ल्य" प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा। अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2024 में व्यय वाउचरों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि निर्माण सामग्री रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि के बिलों के साथ उक्त फार्म सलंग्न नहीं थे, परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को **परिशिष्ट—4** अनुसार **₹20,38,970** का अनियमित भुगतान किया गया। अतः इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 615/2024 दिनांक 03.12.2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 50 दिनांक 05.12.2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण उक्त ट्रांजिट फॉर्म "फॉर्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फॉर्म एक्स" सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से नहीं लिए गए हैं, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार प्राप्त करके ही भुगतान किया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास फॉर्म की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ताओं को किया गया सम्पूर्ण भुगतान नियमों के विपरीत एंव अनियमित प्रतीत होता है। अतः **₹20,38,970** के अनियमित भुगतान को या तो तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.2 स्त्रोत पर ₹0.38 लाख की जी.एस.टी., टी.डी.एस. की कटौती न करना:—

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम 2017 की धारा 51 तथा हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78EXN-Tax-Part(278/25)-29056 दिनांक 29.09.2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/LocalAuthority/Govt.Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति फर्म, को सेवायें तथा वस्तुऐं प्रदान करने के बदले एकल अनुबन्ध में ₹2,50,000 से अधिक राशि का भुगतान करने

पर 2% (1% सी.जी.एस.टी.तथा 1% एस.जी.एस.टी. अन्तर्राज्यीय आपूर्ति एवंम 2% आई.जी. एस.टी. अन्तर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/ संविदाकारों को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय कर जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अवधि 04/2022 से 03/2024 के दौरान आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति सलंग्न **परिशिष्ट–5** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **₹19,12,464** (जी..एस.टी.के अलावा) राशि का भुगतान किया गया था, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर राशि **₹38,249.28** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 617/2024 दिनांक 03.12.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या 50 दिनांक 05.12.2024 द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित आपूर्तिकर्ताओं **₹19,12,464** की सामग्री की आपूर्ति करने पर नियमानुसार **₹38,249.28** जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा तथा इसकी वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है। अतः जी.एस.टी. (टी.डी.एस.) की कटौती न करने का औजित्य स्पष्ट किया जाए, अथवा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा जाये अन्यथा नियमानुसार देय अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा जाए।

9. निर्माण कार्यों पर व्यय से सम्बन्धित अनियमितताएँः–

9.1 मनरेगा शीर्ष के अर्न्तगत ₹0.29 लाख का भुगतान करनाः–

मनरेगा के अर्न्तगत व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्यों के सम्बन्ध में स्वयं लाभार्थी को सामग्री का क्रय करना अपेक्षित है। निदेशक एवं आयुक्त मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग के पत्र संख्या SMS-1/2021-22-RDD-Implementation-MGNREGA-5684-5808 दिनांक 25.05.2022 के अनुसार -The amount of material component which is to be reimbursed in the account of individual beneficiaries shall be restricted to the maximum of 40% of the actual total cost of the work by applying the following formula :**Actual unskilled labour cost x 2/3=Material Cost** का भुगतान करना अपेक्षित है परन्तु उक्त नियम की अवहेलना करते हुए **परिशिष्ट–6** में दिये विवरणानुसार **₹28,700** राशि का अधिक भुगतान किया गया जोकि अनियमित है। अतः इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण

अधियाचना संख्या 622/2024 दिनांक 04.12.2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 50 दिनांक 05.12.2024 द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित कार्य के अधिक भुगतान की गई **₹28,700** राशि की सम्बन्धित से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी। अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त निर्माण कार्यों की अधिक भुगतान राशि की वसूली करके जमा व इन्द्राज उपरान्त अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

9.2 निर्माण सामग्री से ₹0.40 लाख की रिक्तियों (voids) की कटौती न करना:–

हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स स्पेसिफिकेशन 2.1.2.13 के अनुसार बजरी की आपूर्ति पर 6 एम.एम. से लेकर 20 एम.एम. तक 5% व 25 एम.एम. से लेकर 40 एम.एम. तक 10% तथा पत्थरों की आपूर्ति पर 63 एम.एम. से 75 एम.एम. तक 12.5% की दर से रिक्तियाँ (voids) की कटौती उपरान्त भुगतान किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु क्रय की गई सामग्री की मात्रा में निर्धारित दर से रिक्तियों (voids) की कटौती नहीं की गई थी जिस कारण आपूर्तिकर्ता को **परिशिष्ट–7** अनुसार **₹40,000** राशि का अधिक भुगतान किया गया जोकि अनियमित है। अतः इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 618/2024 दिनांक 03.12.2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 50 दिनांक 05.12.2024 द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित पत्थर (stone) की खरीद पर **₹40,000** रिक्तियों (voids) की कटौती नहीं की गई है, लेकिन इसके भुगतान की वसूली कर ली जाएगी। अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त रिक्तियों (voids) की कटौती की अधिक भुगतान राशि की वसूली करके जमा व इन्द्राज उपरान्त अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

9.3 ₹3.35 लाख की औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2024 के दौरान **परिशिष्ट–8** में दिये गये विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹3,34,540** की सामग्री का क्रय निविदाएँ (Quotations) आमंत्रित किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 623/2024 दिनांक 04.12.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या 50 दिनांक 05.12.2024 द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित **₹3,34,540**

की औपचारिकताएँ पूर्ण करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी।" प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है। अतः औपचारिकताएँ को पूर्ण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अनियमितता को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये। भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुए नियमानुसार स्टोर/स्टॉक का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.4 ₹2.80 लाख सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्रविष्टियाँ न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संपरीक्षा संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 66 से 73 के अनुसार पंचायत द्वारा खरीदे गए सामान का लेखांकन तथा भंडारण उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-consumable) सामान के रूप में अलग–अलग पुस्तकों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तीकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण पुस्तकों में लिखा जाना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2024 के दौरान विभिन्न कार्यों हेतु क्रय किए गए सामान के बिलों की जाँच में पाया गया कि **परिशिष्ट–9** में दिये गये विवरणानुसार **₹2,79,838** की सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं था। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 624/2024 दिनांक 04.12.2024 द्वारा प्रकरण सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या 50 दिनांक 05.12.2024 द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित स्टॉक रजिस्टर में **₹2,79,838** के क्रय किए गए सामान की स्टॉक प्रविष्टियाँ कर ली जाएगी व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया दिया जाएगा" प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है, क्योंकि क्रय किए गए सामान के स्टॉक का इन्द्राज न करना अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है। अतः वांछित अभिलेख तैयार न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख नियमानुसार तैयार करके सत्यापनार्थ हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाये।

9.5 उचित बिलों के बिना ₹0.43 लाख का भुगतान करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, सपरीक्षा,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 47(2) के अनुसार दावाकर्ता को अपने दावे उचित बिल पर प्रस्तुत करना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों की जाँच में पाया गया कि

परिशिष्ट–10 में दिये गये विवरणानुसार अनुसार **₹43,014** का व्यय आपूर्तिकर्ता से उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 625/2024 दिनांक 04.12.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या 50 दिनांक 05.12.2024 द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा।" अतः उक्त आपूर्तिकर्ताओं से उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताओं से उचित बिल प्राप्त करना सुनिश्चित किये जाये। कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.6 ग्राम पंचायत द्वारा ₹9.39 लाख के प्रस्ताव, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है। **परिशिष्ट–11** अनुसार **₹9,39,040** की राशि के निर्माण कार्यों के प्रस्ताव, प्राक्कलन, प्राशसनिक व तकनीकी स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 626/2024 दिनांक 05.12.2024 द्वारा सचिव से कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 50 दिनांक 05.12.2024 द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि "उक्त कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच की अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी।" वांछित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना स्वतः आपत्तिजनक है क्योंकि नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करने से कृत व्यय की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अति शीघ अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

9.7 सामग्री को खपत से अधिक जारी करने के कारण ₹0.04 राशि का अधिक भुगतान करनाः–

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2024 के दौरान करवाये गए मनरेगा शीर्ष के अर्न्तगत निर्माण कार्य के मूल्याकंन से सम्बन्धित माप पुस्तिका की जाँच में पाया गया कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री **रेत** के रूप में अधिक जारी करने के कारण निम्न तालिका में दिये विवरणानुसार **₹4400** का अधिक भुगतान किया गया।

(1) कार्य का नाम :– सम्पर्क मार्ग का निर्माण मुख्य सड़क से श्री भोपाल,सुशील कुमार के घरों तक:-			
मापन पुस्तिका व पृश्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (घन मीटर)	रेत (वर्ग फुट)
29631 (01,05,07,11)	CC 1:2:4	27.3	12.83 (27.3 x.47)
योग			**12.83**
रजिस्टर पृष्ठ संख्या (73) द्वारा जारी खपत मात्रा			**15**
अधिक खपत/जारी निर्माण सामग्री			**2.2**
क्रय दर			**2000** (वर्ग फुट)
अधिक भुगतान (2000x 2.2)			**4400**
कुल अधिक भुगतान			**4400**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 627/2024 दिनांक 05.12.2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या 50 दिनांक 05. 12.2024 द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित मनरेगा शीर्ष में रेत के रूप में **₹4400** अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी।" अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त कार्य की **₹4400** राशि के अधिक भुगतान को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना:–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संपरीक्षा,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 व हि॰ प्र॰ पंचायती राज (सामान्य) नियमावली 1997 के नियम 34 के प्रावधित महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना आपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है:–

क्र0सं0	**रजिस्टर/अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**सन्दर्भित नियम**
हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, संपरीक्षा,लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002			
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	वर्गीकृत सार	8	29(4)
3	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
4	बजट प्राक्कलन	11	37

5	बिल रजिस्टर	13	48
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
7	स्टोर/स्टॉक के लेखों का अनुचित रख–रखाव	25 व 26	72
8	खाता बही	29	7
9	मासिक बैंक समाधान विवरणी	5	7(3) एंव 10 (1)
10	तकनीकी जाँच व तकनीकी स्वीकृति एस्टीमेट रजिस्टर	31	95(1)
11	दुकान किराया रजिस्टर	33	10
हि॰ प्र॰ पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997			
1	रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर	2	34
2	विकास कार्य निष्पादन रजिस्टर	7	34
3	अनुदान रजिस्टर	8	34
4	अजल सम्पत्ति रजिस्टर	11	34

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 610/2024 दिनांक 02.12.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या 49 दिनांक 05.12.2024 द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में सभी रजिस्टरों को तैयार कर लिया जाएगा और अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा जाए।

11. प्रत्यक्ष सत्यापनः—

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक भी बार नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगया जा सका। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 609/2024 दिनांक 02.12.2024 के क्रम संख्या 9 की अनुपालना में पत्र संख्या 48 दिनांक 05.12.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2024 तक स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है जिसे भविष्य में नियमानुसार सत्यापित करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण मान्य नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये गये स्टोर/स्टॉक के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः इस सन्दर्भ

में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई अमल मे लाकर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. **लघु आपत्ति विवरणिका**:— लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

13. **निष्कर्ष**:— लेखों में पर्याप्त सुधार और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता हैं।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009
दूरभाष 0177—2620046

का०/प्रति
—1832—1836 27 MAR 2025

पृष्ठांकन संख्याः— फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(12)43/2019 खण्ड—1 दिनांक शिमला—09
प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत बरमाणा, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009
दूरभाष 0177—2620046

का०/प्रति

Annaxure 1 पैरा संख्या 4 क्र 6.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत बरमाना, विकास खण्ड बिलासपुर सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

स्व स्त्रोत :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2022-23	226861.00	771709.00	998570.00	847729.00	150841.00
2	2023-24	150841.00	373898.00	524739.00	209356.00	**315383.00**

अनुदान :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2022-23	4464881.41	4872227.00	9337108.41	4740737.00	4596371.41
2	2023-24	4596371.41	4042999.60	8639371.01	4810653.60	**3828717.41**

संकलित वित्तीय स्थिति :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2022-23	4691742.41	5643936.00	10335678.41	5588466.00	4747212.41
2	2023-24	4747212.41	4416897.60	9164110.01	5020009.60	**4144100.41**

Diff	**-3914.00**

ग्राम पंचायत बरमाना, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

अनुदान (प्लानिंग) शीर्ष की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1233528.16	1315821.00	2549349.16	1644885.00	904464.16
2	2023-24	904464.16	1085455.00	1989919.16	805337.00	**1184582.16**

स्वच्छ भारत मिशन शीर्ष की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	130753.25	3608.00	134361.25	132531.00	1830.25
2	2023-24	1830.25	301496.00	303326.25	118964.00	**184362.25**

मुख्य मंत्री आवास योजना शीर्ष की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	106223.00	3098.00	109321.00	12000.00	97321.00
2	2023-24	97321.00	3455.00	100776.00	0.00	**100776.00**

राष्ट्रिय ग्रामीण स्वराज अभियान शीर्ष की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2023-24	0.00	515825.00	515825.00	433095.00	**82730.00**

गोसदन शीर्ष की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	31408.00	917.00	32325.00	0.00	32325.00
2	2023-24	32325.00	687.00	33012.00	0.00	**33012.00**

14वें वित्तायोग(Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	253621.00	34699.00	288320.00	281753.00	6567.00
2	2023-24	6567.00	19995.00	26562.00	6707.00	**19855.00**

15वें वित्तायोग (Online)की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	2709348.00	2307547.00	5016895.00	1463031.00	3553864.00
2	2023-24	3553864.00	1251396.00	4805260.00	2581860.00	**2223400.00**

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0.00	1206537.00	1206537.00	1206537.00	0.00
2	2023-24	0.00	864690.60	864690.60	864690.60	**0.00**

(पैरा संख्या 4 (क) में वर्णित) (परिशिष्ट - 1 (क))

दिनांक 31.03.24 को बैंक शेष का विवरण :-				
क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	खाता संख्या	खाता नंबर	राशि (₹)
1	स्वयं स्त्रोत	HPSCB Beri	10310105070	317293.00
2	स्वयं स्त्रोत व अनुदान (प्लानिंग)	HPSCB Beri	10310105060	1191562.16
3	स्वच्छ भारत मिशन	HPSCB Beri	10310107990	185717.25
4	मुख्य मंत्री आवास योजना	HPSCB Beri	10310106101	101479.00
5	राष्ट्रिय ग्रामीण स्वराज अभियान	Indusind mandi	100202801563	177866.00
6	गोसदन योजना	HPSCB Beri	10310108291	33242.00
7	14वां वित्तायोग (Offline)	HPSCB Beri	10310108291	45.00
8	15वां वित्तायोग (Offline)	HPSCB Barmana	10110111198	2140810.00
	योग			**4148014.41**

सचिव
ग्राम पंचायत [illegible]
विकास खण्ड सदर,
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

(पैरा संख्या 4 (ख) में वर्णित) (परिशिष्ट - 1(ख))

दिनांक 31.03.2024 को वितीय स्थिति का अंत शेष का विवरण:-		
1	दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बहियों का अंतिम शेष	4144100.41
2	दिनांक 31.03.24 को बैंक खातों का अंतिम शेष	4148014.41
3	**अन्तर**	**3914.00**
बैंक समाधान विवरणी		
	रोकड़ बहियों व् वितीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2024 को अंतिम शेष	4144100.41
	घटाव (-) दिनांक 31.03.24 को असमायोजित राशि	-3914.00
	ग्राम पंचायत के पास दिनांक 31.03.2024 को विभिन वचत खातों का अंत शेष	4148014.41
	अंतर	**0**

ग्राम पंचायत ... (हि.प्र.)

(पैरा संख्या 4(ग) में वर्णित) परिशिष्ट – 1(ग)

क्र	रोकड़ बही का नाम	दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही का अन्तशेष (₹)	दिनांक 31.03.2024 को बैंक बचत खातों का अन्तशेष (₹)	अन्तर (₹)
1	खाता क (स्वंय स्त्रोत)	3,15,383.00	3,17,293.00	+1,910
2	खाता 'ख' (अनुदान प्लानिंग)	11,84,582.16	11,91,562.16	+6,980
3	स्वच्छ भारत मिशन	1,84,362.25	1,85,717.25	+1,355
4	मुख्यमन्त्री आवास योजना	1,00,776.00	1,01,479	+703
5	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान	82,730.00	1,77,866.00	+95,136
6	गौसदन	33,012.00	33,242.00	+230
7	14वाँ वित्तायोग	19,855.00	45.00	–19,810
8	15वाँ वित्तायोग	22,23,400.00	21,40,810.00	–82,590
	कुल योगः–			3,914.00

Puneet Kumar

Annaxure 2 पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत बरमाना, विकास खंड बिलासपुर सदर, जिला बिलासपुर

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-2023	0	846	50	42300	42300	6000	36300
2023-2024	36300	876	50	43800	80100	62000	**18100**

Annaxure 3 पैरा संख्या 7.2, 7.3 में संदर्भित							
ग्राम पंचायत बरमाना, विकास खंड बिलासपुर सदर, जिला बिलासपुर							
(विवाह पंजीकरण सूचि) (01.04.2022 से 31.03.2024)							
क्रम संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	देय राशी (₹)	प्राप्त राशि (₹)	बकाया राशी (₹)
1	विनय कुमार स्पुत्र तुलशी राम	21/04/2022	12/05/2022	3069	200	200	0
2	मनोज कुमार स्पुत्र प्यार चन्द	10/05/2022	20/05/2022	37685	200	200	0
3	संजीव स्पुत्र धन सिंह	21/04/2022	23/05/2022	37686	200	200	0
4	अनिल कुमार स्पुत्र बंशी राम	28/03/2022	23/05/2022	37687	400	200	200
5	अनिल महाजन स्पुत्र भगत राम	10/05/2022	01/06/2022	37688	200	200	0
6	आशीष शर्मा स्पुत्र कुलदीप	03/05/2022	01/06/2022	3080	200	200	0
7	सुशांत ठाकुर स्पुत्र प्रेम चन्द	10/05/2022	08/06/2022	3081	200	10	190
8	अजय कुमार स्पुत्र महेंद्र सिंह	03/05/2022	24/06/2022	3082	400	10	390
9	अंकुश कुमार स्पुत्र नेक राम	24/06/2022	02/07/2022	3087	200	10	190
10	प्रिंश शुक्ला स्पुत्र राजेश कुमार	21/06/2022	02/07/2022	3088	200	10	190
11	रोहित शर्मा स्पुत्र कुलदीप कुमार	20/07/2022	09/08/2022	3090	400	400	0
12	तेजिन्द्र सिंह स्पुत्र हरी सिंह	04/08/2022	29/08/2022	3093	200	200	0
13	विक्टर विश्वास स्पुत्र विप्लव विश्वास	09/12/2022	19/12/2022	3096	200	200	0
14	शुभम ठाकुर स्पुत्र राजेन्द्र	26/09/2022	19/12/2022	37689	400	200	200
15	अरुण कुमार स्पुत्र महेंद्र	28/09/2022	19/12/2022	37690	400	200	200
16	अंकुश कश्यप स्पुत्र राम पाल	08/12/2022	02/01/2023	3947	200	200	0
17	सुखदीप सिंह स्पुत्र भजन सिंह	02/12/2022	02/01/2023	37691	400	400	0
18	विशाल ठाकुर स्पुत्र अजीत सिंह	02/12/2022	06/02/2023		400	0	400
19	राकेश कुमार स्पुत्र चरण दास	09/12/2022	06/02/2023	3949	400	400	0
20	सुनील कुमार स्पुत्र लेख राम	08/12/2023	06/02/2023	3952	400	200	200
21	विशाल स्पुत्र प्रेम लाल	26/01/2023	06/02/2023	3959	200	200	0
22	अरुण कुमार स्पुत्र मदन लाल	27/01/2023	07/02/2023	3970	200	200	0
23	हिमांशु नेगी स्पुत्र मनमोहन	26/01/2023	07/02/2023	3972	200	10	190
24	अक्षत गुप्ता स्पुत्र विनय गुप्ता	22/02/2023	01/03/2023	3973	200	200	0
25	रणजीत सिंह स्पुत्र गुरुचरण	26/02/2023	01/03/2023	3974	200	200	0
26	रवि कुमार स्पुत्र अमर सिंह	07/01/2023	01/03/2023	3975	400	400	0
27	शशिकांत स्पुत्र पर्स राम	03/05/2023	05/06/2023	3981	400	200	200
28	सुधीर कुमार स्पुत्र सुंदर लाल	03/05/2023	19/05/2023	3982	200	200	0
29	रिकेश स्पुत्र बंशी राम	03/05/2023	19/05/2023	3983	200	200	0
30	अंकुश गौतम स्पुत्र सुरेन्द्र कुमार	13/05/2023	24/05/2023	3984	200	200	0
31	पवन कुमार स्पुत्र प्रेम लाल	22/05/2023	02/06/2023	3985	200	200	0
32	शशिपाल स्पुत्र श्याम लाल	21/05/2023	07/06/2023	3986	200	200	0
32	मुनीश कुमार सपुत्र श्याम लाल	21/05/2023	07/06/2023	3987	200	200	0
33	अक्षय कुमार स्पुत्र नेक राम	12/05/2023	07/06/2023	37694	200	200	0
34	नितिन स्पुत्र राम पाल	03/05/2023	21/06/2023	3989	400	200	200
35	विक्रम कुमार स्पुत्र राजेन्द्र कुमार	23/06/2023	28/06/2023	3990	200	200	0
36	विकास स्पुत्र रूप लाल	16/05/2023	05/07/2023	3995	400	200	200
37	अभिषेक संध्यार स्पुत्र सीता राम	03/05/2023	05/07/2023	3996	400	400	0
38	सुनील कुमार स्पुत्र नन्द लाल	09/05/2023	20/05/2023	3997	200	200	0
39	विक्रम कुमार स्पुत्र प्रकाश चन्द	29/04/2022	01/11/2023	39607	400	400	0
40	कमल गौतम स्पुत्र भगत राम	26/09/2023	01/11/2023	37695	400	200	200
41	विक्रांत ठाकुर स्पुत्र रतन लाल	21/09/2023	20/11/2023	37608	400	400	0
42	अंकुश ठाकुर स्पुत्र श्री बत्तन सिंह	14/02/2024	26/02/2024	37610	200	200	0
Total					12000	8850	3150

सचिव
ग्राम पंचायत ...
सदर, बिलासपुर (हि०प्र०)

Annaxure 4 पैरा संख्या 8.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत बरमाना, विकास खंड बिलासपुर सदर, जिला बिलासपुर

आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना भुगतान करने वारे (01.04.2022 से 31.03.2024)

Ser No	Scheme	Name Of Work	Name of Vendor	Material Items	Quantity (cum)	Rate	amount
1	OWN SOURCE	CO PAKKA PRANGAN GOSADAN BHAWAN LAGHAR	Rattan singh vill baloh, po Nanawan, ghumarwi , bilaspur	रेत	9	2000	18000
				बजरी	16	2000	32000
				पत्थर	11	1750	19250
2	OWN SOURCE	RASTA NEAR RAM LAL HOUSE REIKHAN BARMANA	Rattan singh vill baloh, po Nanawan, ghumarwi , bilaspur	रेत	3	2000	6000
				बजरी	5	2000	10000
				पत्थर	10	1750	17500
3	15TH	CO SAMPARK MARG WARD 01	Rattan singh vill baloh, po Nanawan, ghumarwi , bilaspur	रेत	5	2000	10000
				बजरी	2	2000	4000
				पत्थर	0	1750	0
4	OWN SOURCE	CO SAMPARK MARG NEAR LAGHAT NALLU	Rattan singh vill baloh, po Nanawan, ghumarwi , bilaspur	रेत	7	2000	14000
				बजरी	10	2000	20000
				पत्थर	18	1750	31500
5	VKVNY	CO SAMPARK MARG FROM PATWARKHANA TO HOUSE OF BABU RAM HOUSR	Rattan singh vill baloh, po Nanawan, ghumarwi , bilaspur	रेत	12	2000	24000
				बजरी	26	2000	52000
				पत्थर	18	1750	31500
6	VKVNY	CO SAMPARK MARG FROM SURESH HOUSE TO PULLY	Rattan singh vill baloh, po Nanawan, ghumarwi , bilaspur	रेत	5	2000	10000
				बजरी	8	2000	16000
				पत्थर	25	1750	43750
7	15 TH	CO SAMPARK MARG HANS RAJ KI JAMEEN TO HOUSE OF MAST RAM	Rattan singh vill baloh, po Nanawan, ghumarwi , bilaspur	रेत	13	2000	26000
				बजरी	8	2000	16000
				पत्थर	10	1750	17500
	OWN SOURCES	CO SAMPARK MARG NH 21 TO HOUSE OF KULDEEP KUMAR S/O SITA RAM NALAG	Rattan singh vill baloh, po Nanawan, ghumarwi , bilaspur	रेत	13	2000	26000
				बजरी	11	2000	22000
				पत्थर	13	1750	22750
	OWN SOURCES	CO SAMPRK MARG NH TO GUGGA MANDIR KI TARAF	Rattan singh vill baloh, po Nanawan, ghumarwi , bilaspur	रेत	22	2000	44000
				बजरी	22	2000	44000
				पत्थर	17	1750	29750
	15TH	CO SAMPARK MARG BHEEM KI DUKAN SE GAUSADAN KI TARAF	Rattan singh vill baloh, po Nanawan, ghumarwi , bilaspur	रेत	8	2000	16000
				बजरी	18	2000	36000
				पत्थर	8	1750	14000
							0
	OWN SOURCE	CO SAMPARK MARG RATTAN LAL HOUSE TO GAUSADAN	Rattan singh vill baloh, po Nanawan, ghumarwi , bilaspur	रेत	4	2000	8000
				बजरी	7	2000	14000
				पत्थर	11	1750	19250
	15TH	CO SAMPARK MARG IN VILL NALAG NEAR RAVI HOUSE	Rattan singh vill baloh, po Nanawan, ghumarwi , bilaspur	रेत	12	2000	24000
				बजरी	13	2000	26000
				पत्थर	20	1750	35000
	15TH	CO RASTA/ DANGA NH 21 TO LAL SINGH HOUSE	Rattan singh vill baloh, po Nanawan, ghumarwi , bilaspur	रेत	5	2000	10000
				बजरी	7	2000	14000
				पत्थर	9	1750	15750
	15TH	CO SAMPARK MARG BHATER UPERLI	Rattan singh vill baloh, po Nanawan, ghumarwi , bilaspur	रेत	7	2000	14000
				बजरी	13	2000	26000
				पत्थर	18	1750	31500
	15 TH	CO RASTA BHATER UPERLI WARD 02	Rattan singh vill baloh, po Nanawan, ghumarwi , bilaspur	रेत	5	2000	10000
				बजरी	3	2000	6000
				पत्थर	7	1750	12250
	15 TH	CO RASTA WARD NO. 11 NEAR DAV SCHOOL	Rattan singh vill baloh, po Nanawan, ghumarwi , bilaspur	रेत	4	2000	8000
				बजरी	3	2000	6000
				पत्थर	0	1750	0

	15TH	CO RASTA NH 21 TO LAL SINGH HOUSE	Rattan singh vill baloh, po Nanawan, ghumarwi , bilaspur	रेत	3	2000	6000
				बजरी	6	2000	12000
				पत्थर	15	1750	26250
							0
	15TH	CO DRAIN PVC PIPE VILL NALAG	Rattan singh vill baloh, po Nanawan, ghumarwi , bilaspur	रेत	2	2000	4000
				बजरी	3	2000	6000
				पत्थर	4	1750	7000
	15TH	CO DRAIN BHATER UPERLI NEAR GUGGA MANDIR	Rattan singh vill baloh, po Nanawan, ghumarwi , bilaspur	रेत	5	2000	10000
				बजरी	10	2000	20000
				पत्थर	13	1750	22750
	15 TH	CO WATER TANKI VILL NALAG	Rattan singh vill baloh, po Nanawan, ghumarwi , bilaspur	रेत	8	2000	16000
				बजरी	4	2000	8000
				पत्थर	0	1750	0
	15TH	CO DRAIN NEAR DOGRA KI DUKAN WARD 10	Rattan singh vill baloh, po Nanawan, ghumarwi , bilaspur	रेत	3	2000	6000
				बजरी	2	2000	4000
				पत्थर	0	1750	0
	15TH	CO TANKI BABA BALAK NATH MANDIR	Rattan singh vill baloh, po Nanawan, ghumarwi , bilaspur	रेत	5	2000	10000
				बजरी	2	2000	4000
				पत्थर	0	1750	0
	15 TH	CO RASTA BERI SADAK SE CHANGRU KI TARAF	Rattan singh vill baloh, po Nanawan, ghumarwi , bilaspur	रेत	0	2000	0
				बजरी	0	2000	0
				पत्थर	11	1750	19250
	15TH	CO SAMPARK MARG PANDIT KE GHAR SE RAMESH KE GHAR TAK	Rattan singh vill baloh, po Nanawan, ghumarwi , bilaspur	रेत	5	2000	10000
				बजरी	8	2000	16000
				पत्थर	13	1750	22750
	15TH	CO SAMPARK MARG NEAR HOUSE OF ROSHAN LAL WARD 09	Rattan singh vill baloh, po Nanawan, ghumarwi , bilaspur	रेत	4	2000	8000
				बजरी	6	1450	8700
				पत्थर	14	1250	17500
	OWN SOURCES	CO TIYAL NEAR SIDH MANDIR BAKHARI	Rattan singh vill baloh, po Nanawan, ghumarwi , bilaspur	रेत	2	2000	4000
				बजरी	0	1480	0
			Sanjay kumar vill solagtangar, po dobha,	पत्थर	18	1250	22500
	15th	co DRAIN FROM DAV TO PANCHAYAT GHAR	Rattan singh vill baloh, po Nanawan, ghumarwi , bilaspur	रेत	8	2000	16000
				बजरी	14	1480	20720
				पत्थर	22	1250	27500
	15TH	CO DRAINAGE GP BARMANA	Rattan singh vill baloh, po Nanawan, ghumarwi , bilaspur	रेत	9	2000	18000
				बजरी	0	1480	0
				पत्थर	14	1250	17500
	15TH	CO FOOTPATH WITH DRAIN NEAR THE HOUSE OF SHAMSHER SINGH	Rattan singh vill baloh, po Nanawan, ghumarwi , bilaspur	रेत	15	2000	30000
				बजरी	17	1480	25160
				पत्थर	5	1250	6250
	15 TH	CO BATHROOM AT VILL NALAG	RATTAN SINGH GOVT CONT	रेत	3	2000	6000
			Sanjay kumar vill solagtangar, po dobha, sadar, bilaspur	बजरी	1	1480	1480
			Sanjay kumar vill solagtangar, po dobha, sadar, bilaspur	पत्थर	5	1250	6250
	15TH	R/O TOILET ACC CHOWK BARMANA	RATTAN SINGH GOVT CONT	रेत	12	2000	24000
			Sanjay kumar vill solagtangar, po dobha, sadar, bilaspur	बजरी	1	1480	1480
			Sanjay kumar vill solagtangar, po dobha, sadar, bilaspur	पत्थर	5	1250	6250
	15TH	R/O TANK TARAL NALAG	RATTAN SINGH GOVT CONT	रेत	9	2000	18000
			Sanjay kumar vill solagtangar, po dobha, sadar, bilaspur	बजरी	7	1480	10360
			Sanjay kumar vill solagtangar, po dobha, sadar, bilaspur	पत्थर	5	1250	6250
	GIA PLANNING	CO SAMPARK MARG LAGHAT	RATTAN SINGH GOVT CONT	रेत	0	2000	0
				बजरी	10	2000	20000
				पत्थर	48	1750	84000
	MMRRY	CO SAMPARK MARG ACC SADAK SE LEKH RAM HOUSE	RATTAN SINGH GOVT CONT	रेत	8	2000	16000
				बजरी	17	2000	34000
				पत्थर	39	1750	68250
	MMRRY	CO SAMPARK MARG NH SE BHOPAL SUSHEEL HOUSE LAGHAT	RATTAN SINGH GOVT CONT	रेत	9	2000	18000
				बजरी	17	2000	34000
				पत्थर	35	1750	61250

							0
	RGSA	CO COMMON SERVICE CENTER GP BARMANA	RATTAN SINGH GOVT CONT	रेत	10	2000	20000
			Sanjay kumar vill solagtangar, po dobha, sadar, bilaspur	बजरी	9	1480	13320
			Sanjay kumar vill solagtangar, po dobha, sadar, bilaspur	पत्थर	5	1250	6250
	NAREGA	CO SAMAPRAK MARG ACC SADAK SE LEKH RAM HOUSE	RATTAN SINGH GOVT CONT	रेत	8	2000	16000
				बजरी	20	2000	40000
				पत्थर		1750	0
							0
		CO PROTECION WALL SUNKA S/O KRISHNU BHATER	RATTAN SINGH	रेत	0	2000	0
				बजरी	1	2000	2000
				पत्थर		1750	0
		CO SAMPARK MAR LAGHAT	RATTAN SINGH	रेत	12	2000	24000
				बजरी	25	2000	50000
				पत्थर		1750	0
	MNREGA	CO SASM PARK MARG ACC SADAK SE BHOPAL SUSHEEL HOUSE	RATTAN SINGH	रेत	6	2000	12000
				बजरी	6	2000	12000
				पत्थर	13	1750	22750
Total							**2038970**

-97-

Annaxure 5 पैरा संख्या 8.2 में संदर्भित						
ग्राम पंचायत बरमाना, विकास खंड बिलासपुर सदर, जिला बिलासपुर						
(GST/TDS) की वसूली न करने वारे (01.04.2022 से 31.03.2024)						
क्रम संख्या	चयनित माह	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	कुल राशि (₹)	TDS दर	जी.एस.टी.(टी.डी.एस.) की कटौती राशि (₹)
1	01/04/2022 to 31/03/2023	Rattan singh, vill baloh, ghumarwin	sand aggrigate	1103898	2%	22077.96
2	01/04/2023 to 31/03/2024	Rattan singh, vill baloh, ghumarwin	sand aggrigate	808566	2%	16171.32
Total				1912464	2%	38249.28

सचिव
ग्राम पंचायत बरमाना
विकास खण्ड सदर,
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

26

Annaxure 6 पैरा संख्या ९.1 में संदर्भित						
ग्राम पंचायत बरमाना, विकास खंड बिलासपुर सदर, जिला बिलासपुर						
मनरेगा शीर्ष में अधिक भुगतान करने वारे						
क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	सामग्री की लागत / व्यय योग्य राशि	ग्राम पंचायत द्वारा जारी सामग्री	सामग्री पर व्यय राशि	लाभार्थी को भुगतान योग्य राशि	लाभार्थी को अधिक भुगतान
1	C/o Cattle shed of Hari kumar s/o janki vill Bhater	Mastrol no-(10635,594,6176,208) Labour Paid-(555+1584+3168+4240) 9547 x 2/3=6364.66	Sand, aggrigate	21370.78	6364.66	15006.12
2	C/o Cattle shed of Suresh s/o Sita ram vill Lagat	Mastrol no-(7297,7971,6175,6771,919) Labour Paid-(1480+740+1980+5684+2968) 12852 x 2/3=8568	Sand, aggrigate	22262.00	8568.00	13694.00
Total						**28700.12**

सचिव
ग्राम पंचायत बरमाना
विकास खंड सदर,
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

Annaxure 7 पैरा संख्या १.२ में संदर्भित

ग्राम पंचायत बरमाना, विकास खंड बिलासपुर सदर, जिला बिलासपुर

पत्थर की खरीद में रिक्तियों (voids) की कटौती न करने वारे

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	फार्म का नाम एवं पता	सामान का विवरण	मात्रा (m3)	कुल भुगतान (₹)	कटौती दर %	रिक्तियां (Voids)(₹)
1	OWN SOURCE	CO PAKKA PRANGAN GOSADAN BHAWAN LAGHAR	Rattan singh vill baloh, po Nanawan, ghumarwi , bilaspur	पत्थर	11	19250	12.5	2406.25
2	OWN SOURCE	RASTA NEAR RAM LAL HOUSE REIKHAN BARMANA	Rattan singh vill baloh, po Nanawan, ghumarwi , bilaspur	पत्थर	10	17500	12.5	2187.5
3	OWN SOURCE	RASTA NEAR RAM LAL HOUSE REIKHAN BARMANA	Rattan singh vill baloh, po Nanawan, ghumarwi , bilaspur	पत्थर	18	31500	12.5	3937.5
4	OWN SOURCE	C/O NH21 to house of kuldeep kumar	Rattan singh vill baloh, po Nanawan, ghumarwi , bilaspur	पत्थर	13	22750	12.5	2843.75
5	OWN SOURCE	c/o path NH21 to gugaa mandir	Rattan singh vill baloh, po Nanawan, ghumarwi , bilaspur	पत्थर	17	29750	12.5	3718.75
6	OWN SOURCE	c/o path from house of rattan lal to gowsadan	Rattan singh vill baloh, po Nanawan, ghumarwi , bilaspur	पत्थर	11	19250	12.5	2406.25
7	OWN SOURCE	c/o Tiyala near sidh mandir	Rattan singh vill baloh, po Nanawan, ghumarwi , bilaspur	पत्थर	18	22500	12.5	2812.5
8	VKVNY	CO SAMPARK MARG FROM	Rattan singh vill baloh, po	पत्थर	18	31500	12.5	3937.5
9	VKVNY	CO SAMPARK MARG FROM	Rattan singh vill baloh, po	पत्थर	25	43750	12.5	5468.75
10	15th FC	c/o path from hanse raj to house of mast ram	Rattan singh vill baloh, po Nanawan, ghumarwi , bilaspur	पत्थर	10	17500	12.5	2187.5
11	15th FC	c/o path from bhim shop to howsadan	Rattan singh vill baloh, po Nanawan, ghumarwi , bilaspur	पत्थर	8	14000	12.5	1750
12	15th FC	c/o path vill nalag	Rattan singh vill baloh, po Nanawan, ghumarwi , bilaspur	पत्थर	20	35000	12.5	4375
13	15th FC	c/o danga from NH21 to lal singh house	Rattan singh vill baloh, po Nanawan, ghumarwi , bilaspur	पत्थर	9	15750	12.5	1968.75
			Total					**40000.00**

Annaxure 8 पैरा संख्या 9.3 में संदर्भित

ग्राम पंचायत बरमाना, विकास खंड बिलासपुर सदर, जिला बिलासपुर

औपचारिकताएं पूर्ण किए विना किया गया क्रय

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	बिल संख्या	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि (₹)
1	Own Sources	15th auguest programme	305	pradeep sweet shop barmana	refreshment	10000
2	Own Sources	15th auguest programme	459	keshav genral store barmana	refreshment	11400
3	Own Sources	office expenses	885	pradeep sweet shop barmana	sound system	16600
4	Own Sources	office expenses	855	pradeep sweet shop barmana	refreshment	7040
5	Own Sources	office expenses	875	pradeep sweet shop barmana	refreshment	16600
6	Own Sources	office expenses	26	Rattan singh, vill baloh, ghumarwin	refreshment	7200
7	Own Sources	office expenses	27	Rattan singh, vill baloh, ghumarwin	refreshment	5360
8	Own Sources	office expenses	15,150	keshav genral store barmana	refreshment	32240
9	SBM	c/o community Toilet GP Barmana	1445	sukhdev timber and play home beri	woods	21588
10	SBM	c/o community Toilet GP Barmana	17	kamaksha electric shop barmana	window and door	6600
11	RGSA	c/o CSC barmana	1444	sukhdev timber and play home beri	cement	37416
12	15th FC	c/o road from gugaa mandir to ganga singh house	135,136, 142,143	Sanjay kumar vill salog po dobha sadar bilaspur	Pavers	162496
Total						334540

-31-

Annaxure 9 पैरा संख्या 9.4 में संदर्भित						
ग्राम पंचायत बरमाना, विकास खंड बिलासपुर सदर, जिला बिलासपुर						
सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी दर्ज न करने वारे						
क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि (₹)
1	Own Sources	c/o path from NH21 to house of kuldeep kumar	64,65,	M/s goutam camical tiles, panjgain, bilaspur	Pavers	53690
2	Own Sources	office expenses	885	M/s goutam camical tiles, panjgain, bilaspur	Pavers	53690
3	Own Sources	c/o tiyala gp barmana	149	Rattan singh, vill baloh, ghumarwin	sand, stone	35500
4	SBM	c/o community Toilet GP Barmana	398584	HPSCSC Bilaspur	cement	6806
5	SBM	c/o community Toilet GP Barmana	1445	sukhdev timber and play home beri	woods	21588
6	SBM	c/o community Toilet GP Barmana	17	kamaksha electric shop barmana	window and door	6600
7	RGSA	c/o CSC barmana	459772	HPSCSC Bilaspur	cement	51569
8	RGSA	c/o CSC barmana	1444	sukhdev timber and play home beri	cement	37416
9	15th FC	c/o path from house of jagdeesh to ACC canteen	898	Sanjay kumar vill salog po dobha sadar bilaspur	aggrigate and bolder	8160
	15th FC	c/o road from gugaa mandir to ganga singh house	900	Sanjay kumar vill salog po dobha sadar bilaspur	aggrigate and bolder	4819
Total						**279838**

30

Annaxure 10 पैरा संख्या 9.5 में संदर्भित				
ग्राम पंचायत बरमाना, विकास खंड बिलासपुर सदर, जिला बिलासपुर				
विना बिल के किया गया भुगतान				
क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	भुगतान का विवरण	राशि (₹)
1	Own sources	c/o tiyala gp barmana	cement	17014
2	GIA Planning	office exp	wages payment	6500
3	GIA Planning	office exp	wages payment	19500
Total				**43014**

सचिव
ग्राम पंचायत बरमाना

Annaxure 11 पैरा संख्या 9.6 में संदर्भित

ग्राम पंचायत बरमाना, विकास खंड बिलासपुर सदर, जिला बिलासपुर

प्रस्ताव, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत करने बारे

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	भुगतान का विवरण	राशि (₹)
1	RGSA	c/o CSC Barmana	sand aggrigate cement etc	433095
2	Own Sources	c/o path near naalu nadar	—do—	191180
3	Own Sources	c/o road NH21 to house of kuldeep kumar	paver block, sand etc	139765
4	Own Sources	c/o path from NH21 to gugaa mandir	paver block, sand etc	175000
		Total		**939040**

सचिव
ग्राम पंचायत बरमाना
विकास खंड सदर
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)